न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : ममता सैनी, आर.जे.एस.

नियमित आपराधिक प्रकरण सं.– 685 सन् 2019

(In CIS 1557/19)

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी । —— अभियोगी

बनाम

रविशंकर पुत्र श्री लक्ष्मीलाल खत्री, निवासी– खत्री मोहल्ला, थाना राजनगर, जिला राजसमन्द।

——अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्रीमती रेखा चौधरी, अभियोजन अधिकारी–राज्य की ओर से
2. श्री योगेश कावडिया – अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से

नि र्ण य **दिनांक : 08.05.2026**

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार दिनांक 11.11.2019 को परिवादी श्यामलाल, एएसआई ने थानाधिकारी, पुलिस थाना राजनगर के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह मय जाब्ता गश्त हेतु रवाना हो फव्वारा चौक सेवाली गश्त करता हुआ नौ–चौकी रोड पर वाटर वॉक्स के कुंए के आगे पहुंचा तो वहां पर एक व्यक्ति अपने हाथ में लोहे का छूर्रा लेकर लोगों को डरा धमका रहा था। जिस पर मौके पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं होने से जाब्ता में से मौतबीर मामूर कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रविशंकर होना बताया। लोहे का छूर्रा लेकर उसका नाप किया तो फल की लंबाई 20 से.मी., हत्थे की लंबाई 11 से.मी. कुल लंबाई 31 से.मी. होना पाई गई। रविशंकर को उक्त लोहे का छूर्रा सार्वजनिक स्थान पर लेकर धूमने के बारे में कोई वैद्य कागजात आदि के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। उक्त छुर्रे को नियमानुसार जरिये फर्द जब्त कर मय माल मुलजिम थाने आये.....आदि। उक्त लिखित रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 387/2019 अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध में आरोप पत्र

प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुनकर व समझकर अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया व अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी.ड.1 श्यामलाल, पी.ड.2 शक्तिसिंह, पी. ड.3 सुखलाल व पी.ड.4 गणपतलाल को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02, फर्द जब्ती छूर्रा प्रदर्श पी 03, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 04, फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी 05, रोजनामचा की नकल प्रदर्श पी 06, मालखाना रजिस्टर की नकल प्रदर्श पी 07, जब्त छूरा आर्टिकल 01 पर चस्पा चिट प्रदर्श पी 08 आदि दस्तावेजों को पेश कर प्रदर्शित कराये गये।

4. अभियुक्त के धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत कथन लेखबद्ध किये गये तो उसने अभियोजन साक्ष्य को सही होना बताया एवं बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा।

5. उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली एवं सुसंगत विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर परिशीलन किया गया। बहस के दौरान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जावे।

6. इसके विपरीत बचाव पक्ष के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अभियुक्त पूर्ण रूप से निर्दोष है। अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण झूठा दर्ज करवाया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के बयानों में विरोधाभास है, जिससे अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावे।

7. उभय पक्ष की बहस के तर्क प्रकरण में कारित अपराध में उल्लेखित घटना के सम्बन्ध में सुनने एवं सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू निम्न प्रकार से हैः—

1. क्या दिनांक 11.11.2019 को समय लगभग 03.05 पीएम. पर जिला राजसमन्द के आरक्षी केन्द्र राजनगर के क्षेत्र सेवाली से नौ–चौकी जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने अभियुक्त के चैतन्य कब्जे एवं संज्ञान से एक धारदार छुर्रा जिसके फल की लम्बाई 20 सेमी. व हत्थे की लम्बाई 11 सेमी. होकर कुल लंबाई 31 सेमी. थी, बरामद किया जिसको कब्जे में रखने बाबत् उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था?
2. यदि हां तो उचित दण्ड़ क्या होगा?

8. उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली व सुसंगत विधि का ध्यान पूर्वक अवलोकन व परिशीलन किया गया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का सूक्ष्मता से अवलोकन किया जाए तो साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन की ओर से कुल 04 गवाहान् को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। जिनमें से एफ. आई.आर. कर्ता श्यामलाल, एएसआई ने अपनी रिपोर्ट प्रपी.1 में कथन किया कि वह मय जाब्ता गश्त हेतु रवाना हो फव्वारा चौक सेवाली गश्त करता हुआ नौ–चौकी रोड पर वाटर वॉक्स के कुंए के आगे पहुंचा तो वहां पर एक व्यक्ति अपने हाथ में लोहे का छूर्रा लेकर लोगों को डरा धमका रहा था। जिस पर मौके पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं होने से जाब्ता में से मौतबीर मामूर कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रविशंकर होना बताया। लोहे का छूर्रा लेकर उसका नाप किया तो फल की लंबाई 20 से.मी., हत्थे की लंबाई 11 से.मी. कुल लंबाई 31 से.मी. होना पाई गई। रविशंकर को उक्त लोहे का छूर्रा सार्वजनिक स्थान पर लेकर धूमने के बारे में कोई वैद्य कागजात आदि के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। उक्त छुर्रे को नियमानुसार जरिये फर्द जब्त कर मय माल मुलजिम थाने आये.....आदि।

9. उक्त रिपोर्ट के अनुक्रम में रिपोर्टकर्ता श्यामलाल पी.ड.1 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 11.11.19 को थाना राजनगर पर ए.एस.आई. के पद पर तैनात था। उस दिन वह मय जाब्ता गश्त हेतु रवाना हो फव्वारा चौक सेवाली गश्त करता हुआ नौचौकी रोड पर वाटर वॉक्स के कुंए के पास पहुंचा तो वहां पर एक व्यक्ति अपने हाथ में लोहे का छूर्रा लेकर लोगों को डरा धमका रहा था। जिस पर मौके पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं होने से जाब्ता में से मौतबीर मामूर कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम

रविशंकर होना बताया। लोहे का छूर्रा लेकर उसका नाप किया तो फल की लंबाई 20 से.मी., हत्थे की लंबाई 11 से.मी. कुल लंबाई 31 से.मी. होना पाई गई। रविशंकर को उक्त लोहे का छूर्रा सार्वजनिक स्थान पर लेकर धूमने के बारे में कोई वैद्य कागजात आदि के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। रविशंकर का उक्त कृत्य धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के परिधि में आने से मौके पर रविशंकर से उक्त छूर्रा जरिए फर्द जब्त कर मौके पर रविशंकर को गिरफ्तार कर मय जब्तशुदा छूर्रा व जाब्ता व आरोपी रविशंकर को साथ लेकर थाने पर पहुंचा व कानूनी कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश की। छूर्रे को मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया। उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है। फर्द जब्ती छूर्रा प्रदर्श पी 03 है। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 04 है। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी 05 है जिन सभी पर क्रमशः उसके हस्ताक्षर हैं। रोजनामचा की नकल प्रदर्श पी 06 है। मालखाना रजिस्टर की नकल प्रदर्श पी 07 है। आरोपी रविशंकर से जब्त छूरा आर्टिकल 01 है जिस पर चस्पा चिट प्रदर्श पी 08 है जिस पर उसके व आरोपी रविशंकर के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार उक्त गवाह ने एफ.आई. आर. में वर्णित समस्त तथ्यों की पुष्टि की है। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त के द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिपरीक्षण किया गया किन्तु अधिवक्ता अभियुक्त उक्त गवाह के मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों का खण्डन करने में असफल रहे है।

10. इसी के साथ अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर गवाह पी.ड.04 गणपतलाल को चश्मदीद साक्षी व फर्द जब्ती के गवाह के रूप में परीक्षित कराया है। उक्त गवाह ने एक ही स्वर में अपने मुख्य परीक्षण में परिवादी पी.ड.1 श्यामलाल के कथनों की पूर्ण रूप से पुष्टि करते हुए कथन किये हैं कि वह दिनांक 11.11.19 को थाना राजनगर पर कानि के पद पर तैनात था। उस दिन वह एएसआई श्यामलालजी के साथ जाब्ते में गस्त हेतु रवाना हो फव्वारा चौक सेवाली गश्त करते हुआ नौचौकी रोड पर वाटर वॉक्स के कुंए के पास पहुंचे। वहां पर एक व्यक्ति अपने हाथ में लोहे का छूर्रा लेकर लोगों को डरा धमका रहा था। मौके पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं होने से उसे व संदीप कुमार को मौतबीर मामूर कर उस व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रविशंकर होना बताया। लोहे का छूर्रा लेकर उसका नाप किया तो फल की लंबाई 20 से.मी., हत्थे की लंबाई 11 से. मी. कुल लंबाई 31 से.मी. होना पाई गई। एएसआई ने रविशंकर को उक्त लोहे का

छूर्रा सार्वजनिक स्थान पर लेकर घूमने के बारे में कोई वैद्य कागजात आदि के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। रविशंकर का उक्त कृत्य धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के परिधि में आने से मौके पर रविशंकर से उक्त छूरा जरिए फर्द जब्त कर मौके पर रविशंकर को गिरफ्तार कर मय जब्तशुदा छूर्रा व जाब्ता व आरोपी रविशंकर को हमराह लेकर थाने पर पहुंचे व एएसआई ने कानूनी कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश की। फर्द जब्ती छूरा प्रदर्श पी 03 है। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 04 है एवं फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी 05 है जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त के द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया है जिसमें उक्त गवाह के मुख्य परीक्षण में किये गये कथन अखण्डित रहे हैं और गवाह ने अभियुक्त से छुर्रा जब्त किए जाने के तथ्य को प्रमाणित किया है। इस प्रकार उक्त गवाह पी.ड.04 गणपतलाल के बयानों से मुल्जिम के कब्जे से छुर्रा जब्त किया जाना प्रमाणित होता है। अतः जब्ती के बिन्दु को गवाह ने संदेह से परे प्रमाणित किया है।

11. इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड.02 शक्तिसिंह मालखाना प्रभारी होकर अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करता है कि वह दिनांक 11.11.19 को थाना राजनगर पर हेड़ कानि. मालखाना इंचार्ज के पद पर तैनात था। उस दिन उसके द्वारा प्रकरण संख्या 387/19 में श्यामलाल द्वारा अभियुक्त रविशंकर के कब्जे से जब्त शुदा लोहे का छुर्रा पेश किया। जिसे उसने मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करके सुरक्षित मालखाना में रखा। मालखाना रजिस्टर की नकल प्रदर्श पी 07 है।

12. साथ ही गवाह पी.ड.3 सुखलाल जो हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 11.11.2019 को वह एएसआई के पद पर थाना राजनगर पर तैनात था। उस दिन थानाधिकारी ने प्रार्थी श्यामलाल की लिखित रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 389/19 दर्ज कर उसका अनुसंधान उसके जिम्मे किया। एफआईआर प्रदर्श पी 1 है जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 है जिस श्यामलाल व मानसिंह के हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती छूर्रा प्रदर्श पी 3 है तथा फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 4 है। प्रार्थी के निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 5 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। इसके पश्चात गवाहान् के बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए। संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त रविशंकर के विरूद्ध जुर्म धारा 4/25 आर्म्स एक्ट प्रमाणित पाये जाने से पत्रावली एसएचओ के समक्ष पेश की। जिन्होने

चार्जशीट कता की। रोजनामचा आम की रपट प्रदर्श पी 6 है तथा मालाखाना रपट प्रदर्श पी 7 है। उक्त गवाह से भी अधिवक्ता अभियुक्त के द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिपरीक्षण किया गया किन्तु अधिवक्ता अभियुक्त उक्त गवाह के मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों का खण्डन करने में असफल रहे है और गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से अभियुक्त से लोहे का छुर्रा जब्त किए जाने के तथ्य को प्रमाणित किया है जिससे भी प्रकरण के परिवादी द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट की पुष्टि होती है।

13. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का समग्रता से अवलोकन किया जाए तो एफ.आई.आर.कर्ता श्यामलाल ने अपने पी.डब्ल्यू 01 के रूप में दिये गये बयानों से अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 की संदेह से परे पुष्टि की है। साथ ही प्रकरण में न्यायालय के समक्ष मुल्जिम के कब्जे से जब्तशुदा छुर्रा पेश किया गया है जिसकी परिवादी ने शिनाख्त भी की है तथा मुल्जिम के कब्जे से बिना वैध लाईसेंस के छुर्रा जब्त करना कथित किया है। एफ.आई.आर.कर्ता श्यामलाल के बयानों की पुष्टि चश्मदीद साक्षी गवाह पी.ड.04 गणपतलाल ने की है। उक्त गवाह फर्द जब्ती प्रदर्श पी–1 के गवाह होकर मुल्जिम के कब्जे से छुर्रा जब्त करना कथित करता है। इस प्रकार फर्द जब्ती प्रदर्श पी–3 उक्त गवाहानों के बयानात् से संदेह से परे प्रमाणित है। प्रकरण के गवाहान् से अधिवक्ता अभियुक्त के द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया किन्तु उक्त गवाहान् में से किसी भी गवाहान् के बयानात् का अधिवक्ता अभियुक्त दौराने जिरह खण्डन कराने में असफल रहा है।

14. इस प्रकार अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित होता है कि दिनांक 11.11.2019 को समय लगभग 03.05 पीएम. पर जिला राजसमन्द के आरक्षी केन्द्र राजनगर के क्षेत्र सेवाली से नौ–चौकी जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने अभियुक्त के चैतन्य कब्जे एवं संज्ञान से एक धारदार छुर्रा जिसके फल की लम्बाई 20 सेमी. व हत्थे की लम्बाई 11 सेमी. होकर कुल लंबाई 31 सेमी. थी, बरामद किया जिसको कब्जे में रखने बाबत् उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं पाया गया। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त रविशंकर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

:: आ दे श ::

15. अभियुक्त रविशंकर पुत्र श्री लक्ष्मीलाल खत्री, निवासी– खत्री मोहल्ला, थाना राजनगर, जिला राजसमन्द को अपराध धारा 4/25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(ममता सैनी)

दण्ड बाबत् सुनवाई व आदेशः–

16. अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्त गरीब व्यक्ति है तथा वह पिछले करीब 06 साल से इस मामले में अन्वीक्षा भुगत रहा है। वह आईन्दा ऐसा कृत्य नहीं करेगा। अतः उसके प्रति नरमी का रुख अपनाते हुए परिवीक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की।

17. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया है कि उक्त प्रकरण करीब 06 साल से लम्बित है और तभी से अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में विचारण का सामना किया जा रहा है। पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी का रिकार्ड नहीं है तथा अभियुक्त के पूर्व में किसी प्रकरण में सजा नहीं होना भी प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में समस्त तथ्यों व परिस्थिति को देखते हुये अभियुक्त को दोषसिद्ध अपराध में परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

18. अतः अभियुक्त रविशंकर को धारा 4/25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोषी पाये जाने पर तुरन्त कारावास से दण्डित करने के बजाय धारा 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त 05–05 हजार रूपये की राशि का स्वयं का मुचलका एवं इसी कदर राशि की जमानत इस आशय के प्रस्तुत कर प्रमाणित करा ले कि वह एक वर्ष तक शांति व सदाचार बनाये रखेगा, इस प्रकार के अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर दंड ग्रहण करने के लिए उपस्थित रहेगा तथा साथ ही धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के तहत 700/–रूपये अभियोजन व्यय के रूप में जमा करा दे तो उसे सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे।

19. प्रकरण में जब्तशुदा छुर्रा बाद गुजरने मियाद अपील/ रिवीजन नियमानुसार जिला शस्त्रागार में जमा किये जाने बाबत् संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो। अन्य कोई वजह सबूत या कोई सामान जब्त किया गया हो तो बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

(ममता सैनी)

20. निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ममता सैनी)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.05.08 18:05:24 IST